प्ररूप–ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररूप

{अधिनियम की धारा 3(1) (झ) और नियम 11 (1) और (4 क) देखें }

1. ग्राम/ग्राम सभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुक :
4. जिला :
5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम(प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति /अन्य परंपरागत वन निवासी प्रस्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें) दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य पंरपरागत वन निवासियों काहोना पर्याप्त है

   हम, इन ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते है कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे है।

   (अवस्थित ग्राम की पांरपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिहन या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पांरपरिक रूप से संरक्षित पुनरूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे है, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है) :
6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या(संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :
7. सीमा से लगते हुए ग्राम :
   (i)
   (ii)
   (iii)

   (इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)
8. समर्थन में साक्ष्य की सूची(कृपया निमय 13 देखिए) :

   दावेदार(दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानः **(22*)**

(22*) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012(6-9-2012 से प्रभावी) द्वारा अंतःस्थापित।

उपाबंध 2

{नियम 8 (ज) देखें}

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) :
2. पिता/माता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्रम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल :
11. खसरा /कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है:–

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते है।

मंडलीय वन अधिकारी/उपवन सरंक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर /उप आयुक्त

उपाबंध 3

{नियम 8 (6ज) देखें}

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम : (उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्राम सभा :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप
8. शर्तें यदि कोई हो :
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (कों) का/के नाम :

1. .....
2. .....
3. .....

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखिति वन अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते है।

मंडलीय वन अधिकारी/उपवन सरंक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलेक्टर /उप आयुक्त

"उपाबंध–4

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए हक

{ नियम की (i) देखिए }

1. ग्राम/ग्राम सभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुक :
4. जिला :
5. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/अन्य परंपरागत वन निवासी। दोनो :
6. सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रूढिजन्य सीमा भी है:

उक्त क्षेत्र के भीतर को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुररूज्जीवित करने या परिरक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है यह (नामोद्धिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3(1)झ के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहे है।

हम, अद्योहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा(ग्राम सभाओं)/समुदाय(समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोद्धिष्ट और विर्निर्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने–अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रभागीय वन अधिकारी /उप वन संरक्षक) (जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

जिला कलेक्टर/उपायुक्त